जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.10.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 149 वाहनों से 1,62,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 06.10.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 149 वाहनों से 1,62,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 01 अदद मोबाईल फोन के साथ 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 702/2024 धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद से सम्बन्धित अभियुक्ता सफीना खातून पुत्री जाकिर हुसैन निवासी परदेशवा बंजारा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को 01 अदद मोबाईल फोन के साथ उसके घर के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 08.09.2024 की रात्रि में वादी के घर में रखा जेवर (सोने का 1 चेन, 04 अंगुठी, 01 झुमका, 01 पाजेब, 01 मंगलसुत्र) व 18000 रु0 नगद, 02 कैमरा व लैपटाप तथा वादी के बगल के घरो से 02 मोबाइल अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्ता को आज दिनांक 06.10.2024 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

***बरामदगी का विवरण*–** 01 अदद मोबाईल फोन।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण - उ0नि0 श्री राजीव सिंह, उ0नि0 श्री अशोक कुमार, हे0का0 प्रदीप सिंह विशेन, हे0का0 विजय कुमार सिंह, म0का0 अर्चना यादव ।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजीत चौहान* के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री सतीश कुमार सिंह* द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0764/2024 धारा 302 बी0एन0एस0 तथा 3, 5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 में वाँछित अभियुक्त नाम पता श्रवण पुत्र झिनकान निवासी गुलरिया सिरमा सिसवा जनपद बस्ती को आज दिनांक 06.10.2024 को नेदुला बाईपास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री अमरनाथ शर्मा पुत्र मन्तराम शर्मा ग्राम गरथवलिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर द्वारा उक्त अभियुक्त व उसके दो साथियों के विरुद्ध लोगो को लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने व हिन्दू देवी देवताओं के सम्बन्ध में अपमानजनक शब्द कहने, हिन्दू औरतों से अपना बिछिया, पायल एवं गले में पहने ओम के लाकेट उतरवा देने, हिन्दू देवी देवताओं की मूर्तियों फेकने के लिए कहने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-.

1. श्रवण पुत्र झिनकान निवासी गुलरिया सिरमा सिसवा जनपद बस्ती

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्र0नि0 श्री सतीश कुमार सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार, का0 आदित्य सिंह।